



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.04.2024

विषय:- थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से कुल 125 लीटर अवैध शराब के साथ 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत अवैध मादक प्रदार्थ/शराब तस्करी/वाछिंत अपराधी/पुरस्कार घोषित अपराधी/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के निर्देशन में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1- जगदीश प्रसाद पुत्र स्व० धनराज निवासी ग्राम सुल्तानीपुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, 2- अजय चौहान पुत्र स्व० शंकर चौहान निवासी ग्राम गुरूवा थाना गुरूवा जनपद गया बिहार हाल पता आरव ईट भट्टा ग्राम बबियांव थाना चोलापुर वाराणसी व 3- रामप्रवेश नोनिया पुत्र स्व० बासुदेव नोनिया निवासी बार थाना मदनपुर औरंगाबाद बिहार हाल पता जाल्हूपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को दिनांक-20.04.2024 व दिनांक-21.04.2024 को भिन्न-भिन्न समय व स्थानों से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 125 लीटर नाजायज कच्ची देशी शराब बरामद हुई । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1- अभियुक्त जगदीश प्रसाद पुत्र स्व० धनराज निवासी ग्राम सुल्तानीपुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, उम्र करीब 57 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०-0131/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी
गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान- दिनांक-20.04.2024 को समय करीब 14.50 बजे रसड़ा तिराहा थाना चोलापुर कमि० वाराणसी से ।

2- अभियुक्त अजय चौहान पुत्र स्व० शंकर चौहान निवासी ग्राम गुरूवा थाना गुरूवा जनपद गया बिहार हाल पता आरव ईट भट्टा ग्राम बबियांव थाना चोलापुर वाराणसी, उम्र करीब 21 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०-0132/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी
गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान- दिनांक-20.04.2024 को समय करीब 19.25 बजे आरव मार्का ईट भट्टा ग्राम बबियांव थाना चोलापुर कमि० वाराणसी से ।

3- अभियुक्त रामप्रवेश नोनिया पुत्र स्व० बासुदेव नोनिया निवासी बार थाना मदनपुर औरंगाबाद बिहार हाल पता जाल्हूपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी, उम्र करीब 70 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग-मु०अ०सं०-0133/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-दिनांक 21.04.2024 को समय करीब 08.45 बजे मार्को ईट भट्टा रौनाखुर्द (चिलबिलवा) थाना चोलापुर कमि० वाराणसी से ।

बरामदगी का विवरण-

अभि० जगदीश प्रसाद के कब्जे से 35 लीटर अवैध कच्ची शराब, अभि० अजय चौहान के कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं अभि० रामप्रवेश नोनिया के पास से 60 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद ।

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

टीम 1- उ०नि० आदित्य सेन सिंह व हे०का० अविनाश राना थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

टीम 2- उ०नि० अभिषेक पाण्डेय, हे०का० विश्राम यादव व का० विकास कुमार थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

टीम 3- उ०नि० शैलेन्द्र कुमार, हे०का० मो० शकील, हे०का० सत्यदीन यादव थाना चोलापुर कमि० वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।



